

(नियम 26)

अज अदालत

सहायक कलेक्टर (SDO) बाड़मेर  
बाबुलाल बनाम कमलेश वगैराह

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन, अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

नं. 580/ सन 2024

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
08.08.24	<p>प्रार्थी बाबुलाल की ओर से वकील श्री पवन सिंघल द्वारा यह आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जो दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीनी की ईकतरफा बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण जरिये नॉटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 05.09.24 को पेश हो।</p>	
05/09/24	<p>वहुलाय करीमन इफ्तिकर!  मूल वाद अप्रतिक्रिया से  ट्वीकार का विभाजन उत्ताव  सहस्रीनदार से तलब किया गया  है। निषेधाज्ञा इन आवेदन को  मूल वाद में लफ्फा से विभाजन  उत्ताव तलब से से प्रहरीविक  इसी तरह पर जारी किया जाय  जावकी ईशम इनर सेक</p>	

सहायक कलेक्टर (SDO), बाड़मेर

हस्ताक्षर

सहायक कलेक्टर (SDO), बाड़मेर